राजस्थान सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान (दौसा)

मुकदमा संख्या 21 / 2020
दायर दिनांकः 26.06.2020
निर्णय दिनांकः 26.07.2021

उनवान

1. रामफूल उर्फ मनफूल पुत्र तेज्या
2. काल्या उर्फ कालू पुत्र तेज्या
   जाति मीना निवासी ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा राज.
2. रणजीता पुत्र नानगराम
3. रामजीलाल पुत्र नानगराम
4. विजय पुत्र धन्ना
5. हंसराज पुत्र धन्ना
6. कैलाश पुत्र तेज्या
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चूडियावास तह0 नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

प्रतिवादीगण

वाद उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

:::निर्णय:::

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित।

प्रकरण मै संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान मे आराजी खसरा नंबर 853 रकबा 0.30 है, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.28 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.88 है0 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने वाद उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का पेश कर निवेदन किया है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बरों में वादी संख्या 1 रामफूल के स्थान पर मनफूल दर्ज है तथा वादी संख्या 2 काल्या उर्फ कालू के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज हो रहा है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बरों में वादी संख्या 1 मनफूल के स्थान पर रामफूल उर्फ मनफूल व वादी संख्या 2 रामचन्द्र के स्थान पर काल्या उर्फ कालू अंकित किया जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाले दावा जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा दुरूस्ती ईन्द्राज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

प्रकरण में तनकी कायम कर विवेचित की गई। साक्ष्य वादी रामफूल उर्फ मनफूल पुत्र तेज्या, बरदूराम पुत्र मूलचन्द, हरफूल पुत्र रघुनाथ, काल्या उर्फ कालू पुत्र तेज्या द्वारा बतौर शपथ पत्र पेश किया। वादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहता। अतः साक्ष्य वादी बन्द कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस का मनन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चूडियावास, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण, आधार कार्ड पेश किया एवं वादी सख्या 1 व 2 का सही नाम मनफूल के स्थान पर रामफूल उर्फ मनफूल तथा रामचन्द्र के स्थान पर काल्या उर्फ कालू दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का भली प्रकार अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत चूडियावास, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण, आधार कार्ड की प्रति पेश की है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 6 का इकबाले जवाब दावा व साक्ष्यों के शपथ पत्र के आधार पर ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान मे आराजी खसरा नंबर 853 रकबा 0.30 है, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.28 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.88 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम मनफूल के स्थान पर रामफूल उर्फ मनफूल पुत्र तेज्या एवं वादी संख्या 2 का नाम रामचन्द्र के स्थान काल्या उर्फ कालू पुत्र तेज्या दुरूस्त किये जाने के पर्याप्त आधार है।

अतः वादीगण का वाद उद्‌घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाता है। ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 853 रकबा 0.30 है, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.28 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.88 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मनफूल पुत्र तेज्या के स्थान पर रामफूल उर्फ मनफूल पुत्र तेज्या एवं रामचन्द्र पुत्र तेज्या के स्थान पर काल्या उर्फ कालू पुत्र तेज्या दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान को दिये जाते है। तदनुसार प्रकरण में डिकी जारी हों। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को अलग से भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट,
नांगल राजावतान (दौसा)